

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या...1440/भू अ०

दिनांक : 04/9/2024

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-धरमपुर, थाना-करौं, थाना सं०-651, अंचल-करौं, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना ढीवा मोड़ (रांगा सिरसा-ढीवा-कुकराहा-करौं-करमाटांड पथ पर) से करौं पथ (कुल लंबाई-9.050 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-धरमपुर, थाना-करौं, थाना सं०-651, अंचल-करौं, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.12 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है —

क. स.	खात I सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	31	1	रैयती	धानी-3	0.02	नेमत राना पे० वीरबल राना वो मालती देव्या पति मंटु राना वो यशोदा देव्या पति दिनेश राना वो चन्द्र राना वो मिथिलेश राना पे० गोखुल राना वो इन्द्रजीत राना पे० प्रेम राना अंश समान सा० देह।	सीमा टिकै तर्बांध	रधुराण I	दाग नं०-0 2	डीण्ड I कोल I
2	31	4	रैयती	धानी-3	0.02	तथैव।				
3	31	7	रैयती	धानी-3	0.02	तथैव।				
4	31	2	रैयती	धानी-3	0.03	भीखनी देव्या पति बलदेव राना वो भगतु राना वो शुकदेव राना पे० झालू राना वो रिखिया देवी पति दरवारी राना अंश समान सा० देह।				
5	31	5	रैयती	धानी-3	0.03	नारायण राना वो कामदेव राना पे० हेमलाल राना वो बहादुर राना पे० देवी राना वो अनिल राना पे० कंचन राना वो शिवेश्वर राना पे० थुनु राना सा० देह।				
कुल रकवा-					0.12					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।



भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
13/8/21

अपर समाहर्ता  
देवघर

13/08/2021  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 1440 / भू अ०, देवघर, दिनांक 04/9/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, करों को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
13/8/21

अपर समाहर्ता  
देवघर

13/08/2021  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।